

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्वा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 191

दायरा तिथि : 25.04.2025

आदेश तिथि : 20-05-2025

प्रार्थी :-

मकनाराम पुत्र सुराराम जाति भील निवासी बीजापुर तहसील बाली

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 20-05-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 593 रकबा 0.7900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 949/583 रकबा 2.5824 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1097 दिनांक 06.05.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु इकलौता स्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चलायमान है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	949/583	2.5824 हैक्टर	गै.मु. मगरा	58X9=522 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 150000/- रुपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 593 रकबा 0.7900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार.....02

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

// 02 //
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2025 / 191
 अनवान मकनाराम बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 593 रकबा 0.7900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 949/583 रकबा 2.5824 हैक्टर में से 522 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 150000/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
949/583	2.5824 हैक्टर	58X9=522 वर्गमीटर	15	7830X2=15660	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 15660/- (अक्षरे पन्द्रह हजार छः सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 573 - 577
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक मकनाराम पुत्र सुराराम जाति भील निवासी बीजापुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

3
 (दिनेश बिशोई)
 सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 दिनांक : 21-05-25

3
 सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)


दिनांक : 06/05/2025 08:16:22 PM

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

ग्राम : रूगनाथपुरा

पाली
पटवारी हल्का : दूदनी



खसरा संख्या : 949/583 क्षेत्रफल : 2.5824 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1
भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : गै.मु.मगरा [2.5824, 2.58]
राज. सरकार

[Handwritten signature]
ICP-खसरा

[Handwritten signature]
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
बाली, जिला-पाली (राज.)

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

[Handwritten signature]

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली